प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्टर्लिंग स्कूल
बड़ागाँव, वाराणसी।

पत्रांक : मान्यता / 18785-88 / 2018—19 दिनांक : 06 मार्च, 2019

विषय : विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 419/79—6—2013—18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 में दिये गये निर्देश के क्रम में मान्यता समिति के अनुमोदनोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक : बेसिक/19089—91/2017—18 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा स्टर्लिंग स्कूल, बड़ागाँव, वाराणसी को दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2021 तक 03 वर्ष की अवधि तक के लिए कक्षा—नर्सरी से 8 तक के लिए अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान की गयी थी। इस सन्दर्भ में आपने अपने पत्र दिनांक 27.02.2019 के द्वारा अन्य पत्रजात की प्रति संलग्न करते हुए विद्यालय की मान्यता को नवीनीकृत किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के परीक्षणोपरान्त एवं दिनांक 01.04.2018 से अद्यतन मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही हुआ। उक्त विद्यालय 04.03.2014 से 03.03.2044 तक (30 वर्ष) के पंजीकृत किरायेदारी होने के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

अतः विद्यालय द्वारा मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के फलस्वरूप स्टर्लिंग स्कूल, बड़ागाँव, वाराणसी को इस कार्यालय के पत्रांक : बेसिक/19089—91/2017—18 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा दी गयी मान्यता को इस प्रतिबन्ध के साथ स्थायी किया जाता है कि शासनादेश संख्या 419/79—6—2013—18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 में उल्लिखित शर्ते यथावत् लागू रहेंगे तथा विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित 01 या 01 से अधिक शर्तो का उल्लंघन करने अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गयी हो तो शासनादेश संख्या 419/79—6—2013—18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 के नियम—13 के उपनियम (क), (ख), (ग), (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवॉ कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

(जय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी। 06/3/2019

पृ0सं0 : मान्यता / / 2018—19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1 — सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2 — मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।
3 — सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण/नगर क्षेत्र, वाराणसी।

(जय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

F:\Permanent Manyata.doc